1.00 P.M.

Rape incident in Bhandara district of Maharashtra — *Contd.*

श्री अजय संचेती (महाराष्ट्र) : आदरणीय उपसभापति जी, महाराष्ट्र के भंडारा जिले में यह जो घटना हुई है, मैं उसी विदर्भ प्रांत से आता हूं। मुझे इस पर केवल दो सावल पूछने हैं, क्योंकि इस पर मेरे बहुत से मित्र, विशेषकर महिला साथी सवाल पूछेंगी। यह घटना 14 फरवरी को होती है, पांच दिनों तक वहां सारे लोग कैंप करते हैं और पी.आई. जैसा छोटा अफसर 19 फरवरी को suspend होता है। आज उसके बाद 2 सप्ताह बीत चुके हैं, but there is no concrete result. मुझे समझ में नहीं आता है कि देश में इतनी बड़ी दुर्घटना दिल्ली में हुई, उसके बाद इतना hue and cry सारे देश में हुआ, लेकिन उसके बावजूद इस घटना को दो सप्ताह बीत जाते हैं, पर सिर्फ एक पी.आई. को suspend किया जाता है, इसके अलावा कोई action नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे महाराष्ट्र सरकार को directive दें कि वह इस तरह का ढीलापन अपने कामकाज में न बरते और इस मामले में समयबद्ध तरीके से बहुत सख्त कार्यवाही की जाए।

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र) : सर, मुझे भी इस बारे में सवाल पूछना है।

श्री वी. हनुमंत राव (आन्ध्र प्रदेश) : सर, मुझे भी इस बारे में सवाल पूछना है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will give you a chance to speak.

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, महाराष्ट्र के भंडारा जिले में जो जघन्य अपराध हुआ है, उसके बारे में माननीय गृह मंत्री जी द्वारा वक्तव्य दिया गया है। वहां 3 नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार करके, उनकी हत्या कर दी गई है। 14 फरवरी को यह घटना हुई थी। जब तीनों बच्चियां स्कूल से वापस घर नहीं पहुंचीं, तो उनके दादा, बोरकर जी ने थाने में इसकी सूचना दी। उस सूचना के उपरान्त भी पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। 16 फरवरी को तीनों बच्चियों की लाशें एक कुएं में पाई गईं। यदि समय रहते भंडारा का पुलिस प्रशासन आवश्यक कार्यवाही करता, तो बच्चियों की जान बच सकती थी, लेकिन पुलिस ने समय पर कार्यवाही नहीं की। इसके बाद भी जब कोई निष्कर्ष नहीं निकाला, तो 21 फरवरी को बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने नागपुर में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया और नागपुर के पुलिस कमिशनर और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री को एक ज्ञापन दिया कि जिन तीन बच्चियों को मारा गया है, उनके दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि यह किसने किया और क्यों किया? बहुजन समाज पार्टी इस जघन्य अपराध की कड़ी निंदा करती है।

उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार की यह जो लापरवाही है, इसके कारण समय पर कार्यवाही नहीं हो रही है। महाराष्ट्र में इसके पहले भी जघन्य अपराध हुए हैं, जैसे खैरलांजी की घटना हुई थी। अभी 25 फरवरी

को श्रीरामपुर, जिला अहमदनगर में दो दलित महिलाओं के साथ बलात्कार करके, उनको नंगा घुमाया गया। अभी तक इस केस में भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस तरह की घटनाएं महाराष्ट्र के साथ-साथ पूरे देश में हो रही है। मैं मांग करूंगा कि ऐसी घटनाओं पर तुरंत कड़ी कार्यवाही की जाए और ऐसी कार्यवाही की जाए, ताकि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

श्री हुसैन दलवई : उपसभापति महोदय, महाराष्ट्र में मुड़वारी गांव, लाखनी तालुक, भंडारा जिले में जो घटना हुई, वह 13 या 14 फरवरी को घटी थी। आज 1 मार्च है, पंद्रह दिन हो गए, लेकिन जिन्होंने यह heinous crime किया, उनमें से एक भी आदमी पकड़ा नहीं गया है। मैं आज इस सदन में कहता हूं कि अगर सेंट्रल होम मिनिस्ट्री इसमें कुछ दखल नहीं करेगी, तो उनमें से कोई भी नहीं पकड़ा जाएगा।

महोदय, यह पहली घटना नहीं है। यहां खैरलांजी हत्याकांड का उल्लेख किया गया है। खैरलांजी में इससे भी घिनौनी घटना घटी थी। उसमें भी किसी को सज़ा नहीं हुई। मां और बेटी के ऊपर लोगों के सामने बलात्कार हुआ, दोनों बेटों को मारा गया। बैलगाड़ी में उनकी लाशें ले जाकर नदी में डाली गई। यह सारा लोगों के सामने हुआ, तो भी उसमें ठीक ढंग से कार्यवाही नहीं हुई और जो सज़ा होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई।

महोदय, अभी साकारा में भी ऐसी ही घटना हुई है, नगर में भी हुई है। जो घटना भंडारा में हुई है, उसमें कुर्मी समाज के लोग हैं, जो बिल्कुल गरीब हैं। दूसरी जगहों में जो घटनाएं हुईं, उनमें भी दलित समाज के लोग थे। मैं एक मुस्लिम लड़की के बारे में बताना चाहता हूं कि जालना डिस्ट्रिक्ट में ऐसी एक घटना हुई थी, जिसका मैंने ज़िक्र किया था। वहां भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उस लड़की की लाश कब्रिस्तान में ले जाकर जलाई गई। ऐसा करने वाले वहां के पाटिल वगैरह थे, उनके विरुद्ध भी कुछ नहीं किया गया। महोदय, क्या इसी तरह होता रहेगा? हर जगह ऐसा हो रहा है और इसका कारण यह है कि पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होती है। इन्होंने जो कहा, वह बिल्कुल सही कहा है। मैं तो यह कहूंगा कि वहां के एस.पी. को suspend करके इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए। ऊपर के अफसर बिल्कुल आराम से बैठे रहते हैं। एक छोटे अफसर को suspend करने से कुछ नहीं होगा। किसी को डर नहीं है, इसलिए मेरा कहना यह है कि इसकी सी.बी.आई. इन्क्वायरी होनी चाहिए। जब तक सी.बी.आई. इन्क्वायरी नहीं होगी, तब तक इसमें सही बात सामने निकलकर नहीं आएगी, इसलिए मैं होम मिनिस्टर साहब से इसकी सी.बी.आई. इन्क्वायरी के लिए रिक्वेस्ट करता हूं। एक बार जब वे वहां के चीफ मिनिस्टर थे, तब मैंने यह सवाल उनके सामने उठाया था। उस समय उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह की घटना होगी, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जब वे चीफ मिनिस्टर थे, तब इस प्रकार के घिनौने काम नहीं हुए थे, लेकिन आज वे होम मिनिस्टर हैं, इसलिए मेरी उनसे विनती है कि वे इस दिशा में कुछ काम करें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shrimati Vandana Chavan; not present. Now, Shri V. Hanumantha Rao.

श्री वी. हनुमंत राव : डिप्टी चेयरमैन सर, दिल्ली में जो गैंग रेप हुआ, उसके बाद पूरे देश में इसके बारे में चर्चा चली, बहुत हंगामा हुआ। हम समझे कि इसके बाद स्टेट्स में, चाहे आंध्र प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या महाराष्ट्र हो, हर जगह, पूरे देश में महिलाएं सेफ होंगी और रेप जैसे केस नहीं होंगे, मगर उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। रोज़ाना कोई न कोई घटना घट रही है और आखिर में बच्चियों को मार डालने का काम भी हो रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार को इस संबंध में कोई सीरियस कदम उठाना चाहिए। हर आदमी कह रहा है कि रेपिस्ट को hang नहीं करना है, लेकिन मेरा कहना है कि उसको ज़रूर hang करना चाहिए। जो आदमी महिलाओं के साथ अत्याचार करके उसका मर्डर कर दे, उसको hang करना ज़रूरी है। जब तक उसको hang नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसी घटनाएं बार-बार होती रहेंगी। गरीब, शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ की महिलाओं के साथ ये लोग बराबर ऐसे काम करते रहेंगे। हमारी महिलाओं का, लड़कियों का रात में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है।

महोदय, टेप केस के बाद यह सबसे ज्यादा सीरियस बात है। टेप का मुद्दा सीरियस है, लेकिन उससे भी ज्यादा सीरियस मुद्दा महिलाओं को सुरक्षा देना है। मैं चाहता हूं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब को एक कड़े से कड़ा, ज़ोरदार कानून लाना चाहिए, तभी महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक पुलिस वाले भी इसको easy तौर पर लेते हैं। अगर कोई महिला पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है कि मेरे साथ अपराध हुआ है, तो कई जगहों में तो पुलिस स्टेशनों में भी इस तरह के अपराध हो रहे हैं। मैं यह खुला बता रहा हूं। ऐसे लोगों के विरुद्ध सीरियस ऐक्शन लेना चाहिए। साथ ही जो रेप करके मार्डर करते हैं, उनको hang करने का कानून जब आप लाएंगे, तभी लोग डरना शुरू करेंगे, यही मैं कहना चाहता हूं।

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI (Gujarat): Sir, the statement which the hon. Minister has laid on the floor of the House today is silent on many issues. It is silent on the fact that a mother and an old grandmother were made to wait in a police station in Lakhani, Bhandara till 1.30 in the night. It is silent on the fact that only after this case got the attention of the media at large, and, only when public outrage was seen by the Government of Maharashtra, a little action started. But what this statement highlights is that Maharashtra, and, specifically, the police in Bhandara, was so inept that even after the so-called intense tracing of the missing children — it is a person in whose well that three bodies were dumped — it was after the citizens alerted the police that the police had found these three children.

Sir, time and again, I have stood in this House and I have asked the hon. Minister a question. Is the mere suspension of a P.I. enough to send a signal

to criminals at large that our system is not dependent only on outrage or it is not dependent only on the Indian media to highlight the plight of women and children in our country? I would like to bring it to the attention of the hon. Minister that in the same area of Lakhani, on the 22nd, after public outrage over the death of three children, a teacher goes and sexually assaults a child. Yesterday, in the District of Sangli, which is the home District of the Home Minister of Maharashtra, a girl was gang-raped. This is the news which has come to us. But, Mr. Shinde, since you yourself hail from the State of Maharashtra, I would today plead with you on an issue on which I have been pleading with the Chief Minister of Maharashtra for the past two years. If we want to assure the women and children of Maharasthra that the State will protect them, then, why is it that after continuous pleas the Chief Minister of Maharashtra, even as on date, has failed to name a Chairperson for the State Commission for Women?

How many more women and children have to be raped, how many of them have to die before the State Government of Maharashtra will wake up! Sir, I again reiterate my question to the Union Home Minister: is mere suspension of a police officer, who does not take cognizance of the helplessness, anxiety or the fear of a mother whose three daughters go missing, enough? When will we punish those officers who do not fulfill their responsibility towards protecting the vulnerable in our society? Sir, till such time such officers are not punished as per the law, these cases will continue to happen. As Mr. Hanumantha Rao said today, after the Delhi gang rape, there was a possible expectation that such cases will diminish, but these cases continue to rise because criminals at large in our country know that the system will fail the victim.

So, my submission to you, the hon. Union Home Minister, is that a suspension is just a slap on the wrist. Till such time the police fails to protect citizens or to prevent crime, and, till such time such officers are not harshly punished, we will not see a change in the society.

Sir, once again, I plead with you to impress upon the Chief Minister of Maharashtra to think over the fact that the State Commission for Women has gone without a Chairperson for over two years and it cannot afford the same anymore. Thank you.

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश): सर, हम सबकी भावना उनके साथ है। इसके ऊपर गंभीरता से विचार होना चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. Kanwar Deep Singh.

DR. KANWAR DEEP SINGH (Jharkhand): How much time are you going to give me?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You seek the clarification. That is all. Take one or two minutes.

DR. KANWAR DEEP SINGH (Jharkhand): Sir, this is a sensitive topic. I do not want the bell to ring; I will confine it to two minutes.

Sir, these are exceptional circumstances. Another rape, the country has not been able to come out of shocking incident of gang rape in Delhi, and, we hear another gruesome rape. Sir, gruesome, grief may not be the adequate words at a place where our society has reached...

...due to the rapes, the inhuman rapes, which are happening throughout the country. I think, in this august House, Sir, this is the collective conscious of the country. We are the senior House of the Parliament. I fully understand that the law and order is a State Subject. But, Sir, in these circumstances, if this is not tackled, in my opinion, history will never forgive us for saying that this is a State Subject and we cannot do anything more than that. My request would be: Why can't we make an exceptional rule to tackle this exceptional crime? Why can't we have a Central body because till the time the criminals have fear of law, this cannot be stopped? This is not merely an issue of law and order situation, Sir. Of course, we need to look and find out many different aspects to handle it, but till the time we instill the fear of law, this will not be sufficient. My request is: Why don't we think of a Central force which tackles these crimes and specialized courts which tackle these crimes only so that the criminals are caught, justice is quick and we are able to instill the fear of law. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have three more names. I will allow two minutes each.

श्री प्रकाश जावडेकर (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदय, महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था समाप्त हो गई है। यह बहुत ही निंदनीय घटना है। यह अकेली ऐसी घटना नहीं है, पिछले एक महीने में 10 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं और ये लगातार चल रही हैं। माननीय सुशीलकुमार शिंदे जी और हमारे मित्र हुसैन दलवई जी महाराष्ट्र से आते हैं, उन्हें पता है कि सत्तारूढ़ दल की घटक पार्टी में किस तरह के गुनहगार लोग हैं, वे किस तरह से पार्टी की शरण

लेते हैं और उसी पार्टी के वहां पर होम मिनिस्टर होने के कारण होम डिपार्टमेंट कैसे बिहेव करता है, यह भी हमने देखा है। भंडारा जिले के खेरलांजी में इतना बड़ा कांड हुआ और सारे आरोपी, सारे अभियुक्त बरी हो गये, क्योंकि पुलिस ने केस को अच्छी तरह से रखा ही नहीं। ये जांच नहीं करेंगे, जब बहुत शोर मचा तो एक पी.आई. को सस्पेंड किया और आगे कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं जो कह रहा हूं, उसको शिंदे जी समझ रहे हैं, जब सहयोगी दल से ही इस तरह की बातें हो रही हैं, तो वे क्या करेंगे। मैं मांग करता हूं कि यह केवल लॉ एंड आर्डर का मुद्दा बताकर, यह स्टेट रिक्वेस्ट करेगा, तो सीबीआई इन्क्वायरी होगी, ऐसा मत करो। यह महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है। इसमें बहुत धाराएं ऐसी हैं जो Concurrent List में आती हैं, इसलिए इसकी सीबीआई जांच की घोषणा आप खुद कर सकते हैं। You can order a CBI inquiry. Do not wait for the recommendations from the State Government because it will never recommend and that is why I want the Centre to act swiftly in this matter. Otherwise, जो culprit हैं, वे कभी नहीं पकड़े जायेंगे और कोई जांच सार्थक नहीं होगी, यह हमें पूरा देखने को मिल रहा है।

श्रीमती बिमला कश्यप सूद (हिमाचल प्रदेश) : उपसभापति महोदय, महाराष्ट्र की इस घटना से मन कांप उठता है। जहां इस देश में कन्या को देवी के रूप में पूजा जाता था, उसी देश में आज छोटी-छोटी बच्चियों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। यह बहुत शर्म की बात है। जिस परिवार की तीन-तीन बच्चियों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ, उस परिवार के साथ कहीं अपनी जातीय दुश्मनी तो नहीं थी, इस पर गौर करना चाहिए। जैसा कि पता चला है कि महाराष्ट्र में अभी तक महिला आयोग का गठन नहीं हुआ है, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन आगे आयेगा। अभी महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित बिल इसी सदन में पास हुआ है और इसी सदन में हम आज नारी सुरक्षा के बारे में चर्चा हो रही है। हर तीसरे दिन इस तरह के मुद्दे उठते रहते हैं कि छोटी-छोटी बच्चियों के साथ ऐसा व्यवहार करके उनको मार दिया जाता है और इस पर कोई एक्शन नहीं होता है।

मैं एक बात इस सदन के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि अभी-अभी भ्रूण हत्या का मामला उठा कि भ्रूण हत्या रुकनी चाहिए। मुझे लगता है कि बच्चियों को पैदा होने का कोई हक नहीं है यदि उनकी सुरक्षा इस देश के सरकार नहीं कर सकती, तो बच्चियों को पैदा होने का कोई हक नहीं है।

उनको भ्रूण हत्या की इजाजत दे दी जाए, ताकि वह भ्रूण हत्या करें और इस देश में कन्याएं पैदा ही न हों। इस देश की सरकार इसके लिए चिंतित नहीं है। महोदय, मुझे आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से एक बात और कहनी है कि आप जिस 18 बरस के लड़के को एडल्ट मानते हैं, उसको जब वोट देने का हक है, तो फिर उसको बच्चा कैसे माना जाता है? ये जो 17-18 साल के छोटे-छोटे बच्चे हैं, ये ही ऐसे काम करते हैं, इसलिए उनकी जुवेनाइल की उम्र कम की जाए। मैं आपके माध्यम से ये दो बातें ही सरकार के सामने रखना चाहती हूं। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Leader of the Opposition.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, I share the concerns of all the hon. Members. I just want to draw the attention of the Home Minister that he has mentioned that these are three minor young girls who have been sexually assaulted and the offences which have been registered are under the Indian Penal Code and also the Criminal Law Ordinance of 2013, the new rape law, as also Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012. My understanding of these legislations and the propriety as also the Supreme Court guidelines is that the victims are never named. The identity of the victims is always kept a secret. In paragraph 2 of the hon. Home Minister's statement, the names of all the three victims have come in. I am sure, it's an oversight, but in that event, we all are participating in this impropriety that victims of sexual abuse — and that too, three minor children — being named in the statement of the Home Minister before the House. I would like the Home Minister to consider this fact and if what should not have been done has been done, then he should withdraw the statement, have it corrected and then it can be placed back at 2 o'clock in the House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The point is, victims' names have already been given in the statement. If they are real names, they should not be there. That's the point.

श्री अरुण जेटली : शिंदे साहब, आपने जो स्टेटमेंट पढ़ी है, आप उसके पैराग्राफ-2 को देखिए। उसमें grand-mother ने जो complaint लिखवाई थी, उसमें तीन बच्चों के नाम लिखवा दिए कि वे untraced हैं, तो उनके नाम और Identity स्पष्ट होकर आ गई। बाद में यह आया कि इनको sexually abuse किया गया है। इस प्रोसेस में victims' की Identity आपके बयान में reveal हो गई है। अब sexually abuse और assault cases में victims' की Identity को छुपाया जाता है, उसको कभी disclose नहीं किया जाता।

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Yes, it should be deleted.

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार) : सर, दिल्ली में एक केस में निर्भया का नाम कभी नहीं आया। यह एक गंभीर चिंता की बात है, जिसकी ओर माननीय नेता विपक्ष ने ध्यान दिलाया है।

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: I am thankful to the LoP for pointing this out. We will delete it. It should be treated as deleted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. LoP has raised a very, very important point. I would, therefore, take this step that those names are expunged. It is also intimated to the media that those names should not be published. If it is done, it will be taken as a matter of privilege. ...*(Interruptions)*... I think now let the Minister reply. ...*(Interruptions)*... Okay, then, only put your question.

SHRI KUMAR DEEPAK DAS (Assam): Sir, here, this has become a regular feature in the States like Assam and is not limited only to Maharashtra. In every minute, there is an incident of rape. Sir, we have seen that Verma Committee Report is not being considered fully. We need prompt action from the Government. Here, in this case, this incident took place on 14th February. On 16th February, the missing girls were traced. On 19th February only, they took action and suspended some police officials, not of the rank of SP and others.

This is the action taken by the Government. We demand prompt action. Usually the police come into the picture after the public outrage, or, outcry by the media. We need to give professional training to the police. It has been done randomly. Every minute there is an incident of rape. We need to take prompt action; special course or professional training has to be imparted to the police. Special police force has to be recruited for this purpose. This is my suggestion.

श्री सुशीलकुमार शिंदे : उपसभापति जी, आज एक बहुत ही चिंतित विषय पर निवेदन किया गया है और यह विषय महाराष्ट्र सरकार के अख्तियार में आता है। मैं इतना ही बोलूंगा कि दिल्ली में जो घटना हुई थी, उसके बाद सरकार ने इस पर बहुत सीरियसली विचार किया है और इस सम्बन्ध में सदन में एक नया कानून भी आने वाला है। इसके बारे में ऑर्डिनेंस भी निकाला है। अभी सम्माननीय सदस्य श्री वीर सिंह जी एक केस को डिसरोब्ड किया हुआ केस बता रहे थे, मैं बताना चाहता हूं कि अब नये कानून के अनुसार उसमें 3 से 7 साल तक की सज़ा मिलने वाली है। ये जो भी केसेज़ बता रहे हैं, मैं यह बताना चाहूंगा कि हम यहां पर जो नया कानून ला रहे हैं, उसमें यह सब दिखाया है, ताकि यह दुबारा न हो। उन्होंने खैरलांजी के केस के बारे में कहा, खैरलांजी में भी यह बात हो गई थी, फिर यह दुबारा से भंडारा में हुई है, लेकिन मैं इसके बारे में यह बताना चाहूंगा कि जिस दिन घटना हुई थी, उसी दिन रात में 10.30 बजे, उनकी फैमिली ने पुलिस स्टेशन पर जो रिपोर्ट की थी, वे शायद घंटा, 2 घंटा सारी रिपोर्ट करने के लिए बैठ होंगे, इस दौरान यदि उनकी फैमिली को कोई तकलीफ़ दी गई होगी, तो हम उस सम्बन्ध में भी महाराष्ट्र सरकार को बता देंगे कि इसको देख ले। यह विषय महाराष्ट्र सरकार से सम्बन्धित है, लेकिन मैं आश्वस्त करूंगा कि आपने यहां पर जो भी बातें कही हैं, हम वहां पर उनको बताने का काम करेंगे। हम इसमें स्ट्रिक्ट...**(व्यवधान)**... देखिए, स्टेट-सैंटर रिलेशन में कोई भी राज्य हो, वह चाहे विरोधी दल

[श्री सुशीलकुमार शिंदे]

का राज्य हो या कांग्रेस का हो, हम उस पर कभी भी ज्यादा एक्सेस नहीं करते हैं। हम इस पर कभी नहीं बताएंगे कि किस तरह काम करना चाहिए, क्योंकि यह स्टेट का विषय है, स्टेट का सवाल है। वह कोई भी स्टेट है, लेकिन जब सवाल आता है, तो उस पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए।

SHRI M. RAMA JOIS (Karnataka): They are abolishing death sentence not for this inhuman act. ...*(Interruptions)*...

SPECIAL MENTIONS*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Honourable Members, just lay Special Mentions by mentioning the title. Shri Ram Vilas Paswan.

Demand to release the Hurriyat leader Syed Ali Shah Gilani under house arrest in Delhi

श्री रामविलास पासवान (बिहार) : महोदय, प्राप्त जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर के हुर्रियत नेता 86 वर्षीय सैयद अली शाह गिलानी को भारत सरकार ने दिल्ली के मालवीय नगर के बहुत ही छोटे कमरे में नज़रबंद कर रखा है। श्री गिलानी तीन बार विधायक रह चुके हैं। कई बार उनके हार्ट की ओपन सर्जरी हुई है। यह बात सही है कि कश्मीर के सवाल पर हुर्रियत नेताओं की अलग राय है और हम लोग हमेशा उन लोगों से बातचीत करने के लिए सरकार से आग्रह भी करते रहे हैं। गृह मंत्री के नेतृत्व में कश्मीर दौरे पर गई सर्वदलीय बैठक के दौरान मैं तथा सीपीएम, सीपीआई एवं अन्य दलों के वरिष्ठ नेता उनसे मिलने उनके घर पर गए थे। कश्मीर में पिछले चार साल से शांति व्यवस्था कायम है। यह बात सही है कि अफज़ल गुरू की फांसी के बाद आम कश्मीरी नौजवानों में रोष है और श्री गिलानी के हाउस अरेस्ट के बाद असंतोष और भड़क सकता है। डॉक्टर की भी राय है कि इन्हें डेली वॉक की जरूरत है।

अत: मेरी सरकार से मांग है कि श्री सैयद अली शाह गिलानी को मुक्त किया जाए और डॉक्टर की राय के मुताबिक उन्हें घूमने-फिरने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद।

Demand to enhance the amount of pension given under EPF scheme in the country

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA (Odisha): Sir, as per the Employees Pension Scheme, member-employees are getting pension. As per the scheme, out of the total

---

*Laid on the Table of the House.